

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 04/09/24

क्रमांक रीडर/2024/5267

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भंवरलाल पुत्र दमाराम
जाति मेघवाल निवासी
बाड़मेर आगोर तहसील
एवं जिला बाड़मेर।

1 उम्मेदसिंह 2 गुलसिंह 3 डूंगरसिंह 4 गिरसिंह 5
लीलसिंह पिसरान गुणेशाराम जाति रावणा राजपूत
निवासी गांधी नगर 6 टीकमाराम पुत्र मूलाराम जाति
जाट निवारी मूढों का तला 7 तखतसिंह पुत्र
उतमसिंह 8 पृथ्वीसिंह पुत्र जालमसिंह 9 रुखमोंदेवी
पत्नी जालमसिंह 10 शेरसिंह 11 स्वरूपसिंह पिसरान
जालमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गांधीनगर
12 ओमप्रकाश 13 केवलाराम 14 देवाराम 15 प्रकाश
पिसरान मानाराम 16 मखणी पत्नी मानाराम जाति
मेघवाल निवासी बाड़मेर आगोर 17 बगतावरसिंह पुत्र
कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी भुरटिया 18 असूराम
19 गुमनाराम 20 डालूराम 21 तगाराम 22 नगाराम
23 मूलाराम 24 मोटाराम पिवरान आदूराम जाति
कुम्हार 25 मदनसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत
निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 101/2024

दिनांक- 27.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 4312/2238 रकबा 1.2294 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदर सिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 04/09/24

क्रमांक :- रीडर/2024/5268-71

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भंवरलाल पुत्र दमाराम जाति मेघवाल निवासी बाड़मेर आगोर तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र गुणेशाराम वगौराह निवासी गांधीनगर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर